Press Brief Basia

On first may on the occasion of labour day, thousands of workers gathered in basia block. For the last 15 days, a signature campaign was being carried out in Basia block as a sign of protest against the non increment of wages in MGNREGA in this financial year 2018-19. More than 5000 workers have signed on pieces of *dhoti* to mark their resentment and protest against the policies of central as well as the state government. Workers also used this occasion to raise their voice against the huge discrepancies that exist in the current payment system in MGNREGA.

Through the campaign, verification was also done with respect to rejected FTOs and workers who have worked for 100 days according to the MIS. 518 FTOs were rejected, out of which 102 cases were presented to the block for doing a re FTO. Still, however only 11 workers have finally been paid and others still remain unpaid even after the MIS, which shows that all have been credited. In addition to this, according to MIS 163 workers seemed to have completed 100 days of work, but 15 families out of these have not completed 100 days, which the field verification report suggests.

On the occasion of labour day, workers have placed the following demands:

1. Wage rate should be increased to Rs.250.
2. Annually, workers must get 200 days of work.
3. Workers must get paid within 7 days of working. In case of non compliance of the same, workers must get a compensation of Rs.2000.
4. MIS should be setup in panchayats.
5. Aadhar based payment must be removed.
6. Panchayats should open on a daily basis.
7. All panchayat functionaries must be recruited at the earliest.
8. Unemployment allowance pending in Arya and Eitam panchayats must be paid at the earliest.
9. The state should take cognizance of the people's struggle for " Jan, Jungle, Zameen".
10. Maternity entitlements should be implemented with no delay as given in NFSA 2013.

Press Brief Sonua

नरेगा सहायता केंद्र के सदस्य गत ५ दिनों से सोनुआ प्रखंड के विभिन्न पंचायत के गांवों में जाकर जागरूकता अभियान एवं मजदूरी दर में वृधि के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था :- नरेगा से जुड़े मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में बताना, १०० दिनों की मजदूरी पुरी कर चुके लोगों का सत्यापन, नरेगा मजदूरों को हो रही परेशानियों और शिकायतों को सुनना और एकत्र करना तथा नरेगा मजदूरी दर बदने के लिए हस्ताक्षर अभियान l इस अभियान में ग्रामीणों एवं मजदूरों का पूरा सहयोग रहा l

अपने उद्देश्य के अनुसार इस अभियान में काफी सारी चीजें निकल कर सामने आयी :-

1. लोगों ने खुल कर अपनी शिकायतों पर आवेदन किया – जिसमे बिलम्ब भुगतान, योजना न खुलना , अधूरी योजनाओं को पूरा न करना, मेट का कार्यादेश एवं भुगतान संबंधी शिकायते सम्मिलित है l (४८ शिकायतों पर आवेदन)
2. मजदूरों ने इस दौरान काम की मांग भी की l (८० मजदूरों द्वारा काम की मांग)
3. जॉब कार्ड में १०० दिन का काम कर चुके मजदुर परिवार का सत्यापन किया गया l तथा
4. ग्रामीणों से नरेगा मजदूरी पर चर्चा की गयी, जिसमे मजदूरों ने कम मजदूरी दर को लेकर नाराजगी भी जतायी l (५५७ लोगों के हस्ताक्षर)

हमारी मांगे :-

1. नरेगा मजदूरी दर को रुपये १६८ से बढ़ाकर झारखंड राज्य के श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी दर के बराबर किया जाए l
2. मजदूरों के मजदूरी भुगतान की अवधि को १५ दिन से कम किया जाय l
3. मजदूरों के मस्टर रोल के साथ मेट का मस्टर रोल भी दिया जाय l
4. मेट का भुगतान भी ससमय हो, जिससे उन्हें काम करने में रूचि लगे l
5. सभी गाँव में ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का काम खोला जाय, तथा ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनायें ही खोली जाय l
6. अब तक की सभी बकाया भुगतान को बिलम्ब भुगतान के साथ जल्द से जल्द मजदूरों को दिया जाए l

मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने को चला हस्ताक्षर अभियान

सोनुवा | संवाददाता

मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी व मजदूरी भुगतान में विलंब की समस्या दूर करने लेकर सोनुवा के पोड़ाहाट महिला महासंघ व मनरेगा सहायता केंद्र सोनुवा ने जागरूकता अभियान शुरू किया है।

गुरुवार को सोनुवा के आहारबेड़ा व ककुंवा गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान में मनरेगा में हक व अधिकार के लिए जनआंदोलन शुरू किया गया। यह अभियान 30 अप्रैल सोमवार तक प्रखंड के विभिन्न गावों में चलाया जाएगा। एक मई को रैली निकाल कर सोनुवा प्रखंड कार्यालय समीप मैदान में सभा की जायेगी। पोड़ाहाट महिला महासंघ के सदस्यों ने बनाया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी केवल 1 रुपये बढ़ाई गई थी, जो कि मजदूरों के सोच के बिल्कुल विपरीत थी। झारखंड में न्यूनतम मजदूरी दर 221 रुपये है, वहां मनरेगा में केवल 167 रुपये ही थी। जिसे 2017-18 में बढ़ाकर 168 रुपये की गयी।

लेकिन, इस वित्तीय वर्ष की बात की जाय, तो इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के बजट में मजदूरी दर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। मौके पर पोड़ाहाट महिला महासंघ व मनरेगा सहायत केंद्र के काफी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।

मजदूरी दर बढ़ाने के लिए चला हस्ताक्षर अभियान

सोनुवा. पोड़ाहाट महिला महासंघ व मनरेगा सहायता केंद्र सोनुवा द्वारा मजदूरों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को सोनुवा प्रखंड के डाबीर, गुटूसाई, भालूमारा आदि कई गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. इस दौरान पोड़ाहाट महिला महासंघ व मनरेगा सहायता केंद्र के सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट में मजदूरी दर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है. जिससे मजदूरों में काफी नाराजगी है. हस्ताक्षर अभियान के बाद मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी दर में बढोतरी करने व मनरेगा से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार को मांग पत्र सौंपा जायेगा. यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा.

Press Brief Janiamore

A week-long 'MNREGA Jagrukta Abhiyan' was carried out from 24-30 April in 7 different Panchayats of the following two blocks of Bokaro district: Kasmar (Murhul Sudi, Hisim, Durgapur, Baraikalan) and Jaridih (Araju, Bhaski Beldih). Members of women collectives and watershed committees from these two blocks formed a group and performed a street play to spread awareness about the various provisions of the Act in 14 different villages over the one week. One of the motives of the campaign was to ensure that the labourers in these villages are made well aware about their rights and that they start exercising the same. Performance of the play was followed by a discussion on the demands to one, raise the wage under MNREGA from the current Rs. 168 to at least Rs. 230, which is the Minimum Wage specified by the Jharkhand government and two, to ensure payment within 7 days. This was accompanied by a signature campaign and a total of 777 labourers and villagers including elected members of Panchayati Raj Institutes of a few Panchayats participated and endorsed the demands mentioned-above.

Press Brief: Kisko

Slogans of labor in Kisko were chanted where more than thousands labor were gathered on the occasion of Labor Day in Kisko block, Lohardaga. A signature campaign was being planned and initially started by labors in Bethat Panchayat further carried out in other Panchayats of Kisko Block. More than hundred labors in each panchayat participated in the signature campaign in each panchayat since 20th April, 2018. In Last 10-11 days, around Two Thousands labor showed their sorrow and pain on non increment in wages in MGNREGA.

1st may was the right time to express their pain for the outer world, which rarely connected with labors in our country. A two thousand plus workers gathered this day and asked to local/State and Central Government about their ignorance towards Indian pillar maker. They also rose raise their voice against the huge discrepancies that exist in the current payment system in MGNREGA. In addition to this, according to MIS 188 workers have completed 100 days of work, but out of these 37 families have not completed 100 days, which the field verification report suggests.

On the occasion of Labor Day, workers placed the following demands

1. Wage rate should be increased minimum up to Rs.200.
2. Workers must get 150 days of work annually.
3. MIS should be setup in panchayats.
4. Panchayats should open on a daily basis.
5. All panchayat functionaries must be recruited at the earliest.
6. Unemployment allowance must be paid at the earliest.
7. Workers must get payment within 7 days of their work.

ग्राम स्वराज मजदूर संघ, मनिका

प्रखण्ड परिसर, पोस्ट मनिका, जिला लातेहार (झारखण्ड)

सेवा में, दिनांक
01—05—2018

महामहिम, राष्ट्रपति, भारत गणराज्य
माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार
माननीय मुख्य मंत्री झारखण्ड सरकार

द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका

विषयः—अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर लातेहार जिले के मनिका प्रखण्ड में संपन्न "राज्य व्यापी विरोध दिवस" व किसानो, श्रमिकों का मांग पत्र।

महाशय,

आज अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर लातेहार जिले के मनिका प्रखण्ड में सैकड़ों ग्रामीण नरेगा मजदूर व किसान एकत्रित हुए। स्थानीय हाई स्कूल से भारतीय स्टेट बैंक मनिका होते हुए प्रखण्ड परिसर तक एक रैली निकाली गई। रैली के बाद प्रखण्ड परिसर में ही एक विशाल जनसभा की गई। नरेगा मजदूर इस वर्ष मजदूरी दर में एक पैसा भी बढ़ोत्तरी नहीं किये जाने से काफी नाराज हैं। मजदूर, किसान एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों पर हमले तेज हो गये हैं। महिलाएँ और बच्चियाँ बलात्कार की शिकार हो रही हैं। बैंकिंग नीतियाँ भी गरीब विरोधी बनाए जा रहे हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकार के ऐसे कुप्रयासों का आम जनता अपने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, भारत गणराज्य से निम्नलिखित माँग करते हैं।

- हर ग्रामीण परिवार को नरेगा अधिनियम के तहत् साल में कम से कम 150 दिन काम का अधिकार हो।
- नरेगा मजदूरी व न्यूनतम मजदूरी कम से कम 300 रूपये प्रतिदिन किया जाए।
- मजदूरी भुगतान कानून के अनुसार अगर नरेगा मजदूरी मिलने में देरी होती है, तो मजदूरों को 2500 रूपये का मुआवजा मिले।
- महिलाओं, वृद्ध व आदिम जनजातियों के लिए दैनिक आधार पर मजदूरी दर निर्धारित हो।
- नरेगा में कार्य किये सभी गर्भवती महिला मजदूरों को एक महीने का सवैतनिक मातृत्व अवकाश मिले।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत् सभी गर्भवती महिलाओं को 6000 रूपये बिना किसी शर्त्त के भुगतान किया जाए।

- सभी पात्र वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला एवं विकलांगों को 1000 रूपये मासिक पेंशन भुगतान किया जाए।
- केन्द्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय, 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यीय खण्डपीठ द्वारा फौजदारी अपील सं0 416/ 18 की सुनवाई के पश्चात् एसस/एसटी (पीआए) एक्ट 1989 एवं संशोधन अधिनियम 2015 को निष्प्रभावी करने संबंधित दिये गये निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त करे।
- केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 एवं संशोधन अधिनियम 2015 को मूल रूप में पुनः स्थापित करने हेतु अतिशीघ्र अध्यादेश पारित करे।
- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें एससी/एसट (पीआए) एक्ट 1989 एवं संशोधन अधिनियम 2015 को निष्प्रभावी करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय के वृहद् पीठ/संविधान पीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर कर संबंधित निर्णय को निरस्त करने तथा अधिनियम को मूल रूप में पुनःस्थापित करने का अनुरोध करे।
- मनिका थाना अन्तर्गत जुंगुर गाँव के ग्राम प्रधान के सभी हत्यारों की गिरफ्तारी एवं कानूनी सजा पुलिस प्रशासन सुश्चित करे।
- जुंगुर गाँव के ग्राम प्रधान के अश्रितों को 25 लाख का मुआवजा एवं बच्चों की शिक्षा सरकारी खर्च पर अच्छे स्कूल में जिला प्रशासन सरकार सुनिश्चित करे।
- मनिका स्थित भातरीय स्टेट बैंक एवं वनांचल ग्रामीण बैंक में नरेगा मजदूरों, पेंशन लाभुकों एवं महिलाओं के लिए विशेष सुविधा बहाल किया जाए।

उपस्थित मजदूरों के हस्ताक्षर

क्रमांक सं0 सदस्य का नाम गांव

हस्ताक्षर

सेवा में,

श्रीमान सशिभुशण समाड,
विधायक , चक्रधरपुर

विषय : मजदूरो को मनरेगा में होने वाली समस्याओ के निदान के लिए आवेदन

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रखंड के विभिन्न पंचायतो एवं गाँव से 1143 मजदूरों मनरेगा के कार्य में होने वालि मुस्किलो को दूर करने के लिए 163 आवेदन जमा किया गया है । सभी मजदूरों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ संग्लग्न है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपने स्तर से इन मजदूरों के आवेदन पर विचार करते हुए समाधान करवाने की कृपा की जाय ।

मजदूरो को मनरेगा में होने वाली समस्याओ के निदान के लिए आवेदन की सूचि

क्रमांक	शिकायत/आवेदन का प्रकार	शिकायतों की संख्या	शिकायत से सबंधित मजदूरों/ लाभुको की संख्या
1	मजदूरी भुगतान नहीं मिलने से संबंधित	53	69
2	मेट भुगतान नहीं मिलने से संबंधित	31	31
3	मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने से संबंधित	34	855
4	योजना नहीं खुलने से संबंधित	6	60
5	कार्यस्थल सुविधा नहीं मिलने से संबंधित	10	10
6	बेरोजगारी भता से संबंधित	5	48
7	सामग्री भुगतान नहीं मिलने से संबंधित	8	8
8	विलंब भुगतान एवं क्षतिपूति से संबंधित	13	54
9	अन्य शिकायत	3	8
	कुल संख्या-	**163**	**1143**

प्रतिलिपि : प्रखंड,जिला एवं राज्य के पदाधिकारी और जन प्रतिनिधि

अंतराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर 1 मई को आयोजित सम्मेलन मे मनरेगा मजदूर का प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन

द्वारा–प्रखंड विकास पदाधिकारी, छतरपुर, पलामू, झारखंड

सेवा मे,

आदरणीय प्रधान मत्री,

भारत सरकार,

महाशय,

आज 1 मई को प्रखंड कार्यालय परिसर छतरपुर , पलामू , झारखंड मे ग्रामीण मजदूर संघ, छतरपुर के द्वारा अंतराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया जिसमे 1000 से अधिक मनरेगा मजदूर शामिल हुए। इस अवसर पर मनरेगा मजदूरों द्वारा कई सवाल उठाये गये जिसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराने एवं उसके समाधान हेतु आपको ज्ञापन सौंप रहा हूँ–

1.न्युनतम मजदूरी से कम मजदूरी – माननीय प्रधानमंत्री जी मनरेगा मजदूर ऐसे मजदूर है जो सिर्फ मजदूरी ही नहीं करते बल्कि गाँव मे मजबूत एवं टिकाउ साधन का निर्माण भी करते है जिससे आधारभूत सुविधा बनता है और ग्रामीण परिवारो को आजीविका मिलता है। पर झारखंड मे मनरेगा मजदूरो को न्युनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी (230 की जगह मात्र 168 रुपया) दिया जा रहा है। यह कानूनन् अपराध है और बंधुआ मजदूर जैसे काम कराना है। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते है पर यह हम पर लागू नहीं करते हैं। हमे उम्मीद था कि आप अपने प्रधान मत्रितत्व काल मे मनरेगा मजदूरों की मजदूरी जरुर बढ़ायेगें। पर पिछले साल 2017–18 मे प्रतिदिन के मजदूरी मे मात्र 1 रुपया वृद्वि किया गया और इस साल 2018–19 कुछ भी वृद्वि नहीं किया गया। इस तरह हमारे साथ मजाक और धोखा किया जा रहा है।

हम आपसे मांग करते है कि झारखंड मे मनरेगा मजदूरों को प्रतिमानव दिवस कम से कम 300 रुपया की मजदूरी प्रदान करने की कृप्या करें।

2. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से परेषानी –डी बी टी जैसे नये तकनीक से फायदा तो हुआ पर नयी परेषानी मे डाल दिया है। भुगतान के लिए भेजे जा रहे एफ. टी. ओ. रिजेक्ट हो रहे हैं और हजारों मजदूर के भुगतान कई महीने से लंबित पडा रह रहा है। अधिकांष बैंक एस बी आई द्वारा नियंत्रित सी. एस. पी मे खाता है जहां मजदूरों को पास बुक नहीं दिया जाता है। वहां अंगूठा लगाकर राषि निकालने का प्रावधान है पर सी एस पी संचालक अंगूठा लगवाकर बोलते हैं कि पैसा नहीं आया है। बाद मे पता चलता है कि पैसा की निकासी कर लिया गया है। एक तो अत्यंत कम मजदूरी दर होना और उसमे भी चोरी हो जाना मजदूरों के लिए बहुत ही कष्टकर है।

हम आपसे मांग करते हैं कि डी बी टी से हो रहे परिषानीयों को दूर करने के लिए विषेष व्यवस्था की जाए एवं अन्य विकल्पों को भी अपनाया जाए।

3. मनरेगा फंड का ससमय आबंटन न होना – पिछले साल झारखंड मे मजदूरी एवं सामग्री मद का पैसा ससमय आबंटन नहीं किया गया। इससे एक और मजदूरी भूगतान मे देरी हुआ है वहीं सामग्री का भुगतान न होने से क्रियान्वित की जा रही योजनाएँ लंबित पड़ी है। वर्ष 2017–18 के अंतिम तिमाही मे तो लगभग राषि की आबंटन नही के बराबर किया गया।

हम मांग करते है कि केन्द्र से राषि का आबंटन ससमय किया जाए।

4. आधार भूत सुविधा की कमी – मनेरगा का कार्यान्यवन मे पंचायत की मुख्य भूमिका है। पर अभि सारा कार्य प्रखंड मुख्यालय से किये जाते हैं। पंचायत कार्यालय नियमित नहीं खुलते हैं। पंचायत के अनुबंधित प्रज्ञा केन्द्र,

ग्राहक सेवा केन्द्र भी प्रखंड मे ही रहकर सेवा देने का काम करते है। इसकी मुख्य वजह आधार भूत सुविधा की कमी है। इंटरनेट सुविधा का अभाव, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक की कमी, पंचायत मे कम्पयुटर एवं एम आइ एस आपरेटर की कमी है। इससे मनरेगा मजदूरों को उचित सुविधा एवं सेवा नहीं मिल पाता है।

हम मांग करते है कि मूल भूत सुविधा उपलब्ध कराकर पंचायत को कियाषील बनाया जाए।

आषा है हमारे द्वारा सौपे गये ज्ञापन मे समस्या पर सहानुभुतिपूर्वक आप विचार करेगें एवं हमारे मांगों को स्वीकार कर कारवाई करेगें।

धन्यवाद,

ग्रामीण मजदूर संघ, छतरपुर , पलामू

हस्ताक्षर

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी खूँटी

विषय -- मनरेगा में मजदूर दर के संबंध में

महाशय,

आप से सविनय निवेदन यह है कि 2017-18 में मनरेगा का मजदूर दर 168 रुपये था अभी 2018 में भी मनरेगा का मजदूर दर 168 रुपये ही है। मनरेगा न्यूनतम दर को 300 रुपये कर दिया जाए। मजदूर को समय से मनरेगा का मजदूर को भुगतान किया जाना चाहिए।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन करता हूँ कि मनरेगा का मजदूर दर को बढ़ाया जाए तथा न्यूनतम मजदूरी दर 300 रुपये करने की मांग करते हैं।

इस सुकार्य हेतु आपका आभारी बना रहूँगा।

आपका विश्वासी
ग्राम सभा डाड़ीगुटू

हिन्दू डुंगी
अनमोल टुटी
एलिस कण्डुलना
दयाराम टूटी
Sulum.. [illegible]
चीआद टूटी
प्रभुसहाय टूटी
मरियम टूटी
कृपा टूटी
सोना टूटी